

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम
भदमदा रोड, भोपाल-462003

क्रमांक-मप्रपुआविनि/स्था-3/ /2025 भोपाल, दिनांक
 //आदेश//

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा उपरांत उपलब्ध कराई गई चयन सूची अनुसार, मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम में सहायक ग्रेड-03 के पद पर वेतनमान रुपये 19500-62000 (लेवल-04) में नियमानुसार वेतन एवं उस पर देय महंगाई भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई तौर पर निम्न शर्तों के अधीन निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाता है:-

संक्र०	अभ्यर्थी का नाम , पिता का नाम तथा पूर्ण पता	वर्ग
01	श्री सुमित मुजाल्दे पिता श्री लालूराम पता-ग्राम घट्टी, पोस्ट देवला, तहसील ठिकरी, जिला बडवानी (म.प्र.) पिन कोड-451660 मोबाईल नंबर-7089431214	अनुसूचित जनजाति/ओपन
02	श्री गौरव श्रीवास्तव पिता श्री कोमल प्रसाद श्रीवास्तव, पता-21/586, डॉ छाया शर्मा वाली गली, आगरा चाट वालों के पास, दुबे कॉलोनी, गुना (म.प्र.) पिन कोड-473001, मोबाईल नंबर-7566823262	अनारक्षित श्रेणी/ओपन/20 संविदा कोटा

नियुक्ति की अन्य शर्तें नियमानुसार है:-

1. अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के अंदर कार्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, भदमदा रोड, भोपाल में उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वतः समाप्त समझा जावेगा।
2. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-सी 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में नियत वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70%, द्वितीय वर्ष में 80%, एवं तृतीय वर्ष में 90% राशि, स्टाफफंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
3. अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवा काल में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
4. उक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अध्याधीन होगी एवम् सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू नियमों के अध्याधीन रहेंगे।
5. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अस्थायी/अर्द्धस्थायी) सेवा नियम 1960 में निहित नियम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी की सेवायें किसी भी समय, किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान कर समाप्त/छोड़ी जा सकेगी। संबंधित द्वारा एक माह पूर्व नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह के वेतन के बराबर की राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
6. अभ्यर्थी को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित नहीं होने दिया जावेगा।
7. अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन में कोई अपराधिक रिकार्ड की पुष्टि होने पर अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

8. उपरोक्त नियुक्तियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के विभिन्न खण्डपीठों में प्रचलित याचिकाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जनजाति/अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किया गया है।

(अजय कुमार शर्मा)
अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल

क्रमांक- मप्रपुआअविनि/स्था-3/161 /2025/भोपाल,
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ :-

दिनांक 21/01/25

- 1- मुख्य परियोजना यंत्री, म0प्र0 पुलिस आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 2- अधीक्षण यंत्री-01, म0प्र0 पु0आ0अ0वि0नि0 भोपाल।
- 3- लेखा शाखा/स्थापना एवं तकनीकी शाखा की ओर सूचनार्थ।
- 4- संबंधित अभ्यर्थी _____ की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 5- आदेश पंजी।

(अजय कुमार शर्मा)
अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना
विकास निगम भोपाल